



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6H 114193



(प्राप्त - "अ")

सत्र 2023-24 में स्वीकृत/प्रमाणित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसायटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप

हम कपिल देव पाण्डेय एवं नरेन्द्र मणि शिखरी कश्यप: अध्यक्ष एवं सचिव नवदेवेशर शिक्षा समिति ई - 135 कुर्मीचल नगर, इन्दिरा नगर लखनऊ सहायक पूर्वक बयान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसायटी / ट्रस्ट नवदेवेशर नरेन्द्र फार्मसी कॉलेज नरेन्द्र नगर यमुना विहार बौलंगी चिनहट लखनऊ नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसायटी / ट्रस्ट के नाम नवदेवेशर नरेन्द्र फार्मसी कॉलेज नरेन्द्र नगर यमुना विहार बौलंगी चिनहट लखनऊ में गाटा संख्या 566 एवं 537 में से रकबा क्रमशः 0.2915 मी से 0.915 एवं 0.1286 मे से 0.1085 हेक्टेयर कुल भूमि 0.5201 हेक्टेयर मे से 0.2000 भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी काट किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

SIGNATURE ATTESTED

सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 566 एवं 537 में से क्रमशः 0.915 एवं 0.1085 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.2000 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15/05/2022 द्वारा पारित

R.C. VERMA
Adv. & Notary
Collectors Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

6. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित भवनों के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त प्ले पर सांसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं प्ले पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लर्क, प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयालयों आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सांसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जाएगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का मवीमति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निम्नानुसार कानून संगत कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



SIGNATURE

R.C. VERMA
SECRETARY
H.O. रासिव
Lucknow U.P. INDIA
Land No. 11/64/3000

[Handwritten Signature]
उपस्थित/सचिव
रासिव शिक्षा विभाग

[Handwritten Signature]

H.O. अध्यक्ष
अध्यक्ष
नवविश्व शिक्षा संस्थान
E 135 कलकत्ता